**आदेश 22 नियम 9 (2) अथवा 4(5) CPC के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र**

**(Application under order 22 Rules 9(2) or 4(5) CPC)**

न्यायालय ...........

वाद नंबर ............ सन् ............

अ०ब०स० ............ वादी

**बनाम**

सन्द० फ० ............. प्रतिवादी

श्रीमान जी,

प्रार्थी/वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि एक मात्र वादी या एक मात्र उत्तरजीवी वादी या एक मात्र प्रतिवादी या एक मात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की दिनाँक ............ को मृत्यु हो गई थी और वाद लाने का अधिकार बचा है !
2. यह की प्रार्थी आदेश 22 नियम 3 (1) सी०पी०सी० अथवा आदेश 22 नियम 4(1) सी० पी०सी० के - नियत अवधि 90 दिवस के अर्न्तगत कोई प्रार्थना पत्र नहीं दे सका था और वाद दिनाँक ..... .. को आदेश 22 नियम 3(2) सी० पी०सी अथवा आदेश 22नियम 4(3) सी० पी० सी० के अन्त शमित हो गया।
3. यह कि प्रार्थी को अपा हार्य पर्याप्त कारणों ने आदेश 22 नियम 3(1) सी० पी०सी० अथवा आदेश 22 नियम 4(1) सी० पी०सी० के अन्तर्गत समय के अन्दर प्रार्थना पत्र देने से रोका था।

कारणों का विवरण अंकित करें।

1. यह कि वाद के उपशमित हो जाने से प्रार्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और न्याय हित में उपशमन का अपास्त किया जाना परमावश्यक है !
2. यह कि मृतक वादो का प्रार्थी अकेला पुत्र तथा उत्तराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि है।

**अथवा**

यह कि मृतक प्रतिवादी के निम्न व्यक्ति उत्तराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि हैं।

(1) ............ पुत्र स्व श्री ............ निवासी

(2) ............ ............" ...........

(6) यह कि उपशमन के आदेश को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र, परिसीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। अथवा विलम्ब क्षमा के प्रार्थना पत्र व पुष्टि में शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अत: प्रार्थना है कि वाद के उपशमन का आदेश दिनाँक . .......... अपास्त करने की कृपा करें और आपेक्षित प्रत्यास्थापन करके वाद की कार्यवाही करने की कृपा करें।

**स्थान ............ दिनॉक**

**............ प्राथी**

**........... द्वारा अधिवक्ता**

**नोट :** (1) प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न किया जाये।

(2) प्रार्थना पत्र विलम्ब से देने पर विलम्ब क्षमा का प्रार्थना पत्र व प्रविष्टि में शपथपत्र प्रस्तुत करें।